न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 131/2020 (2020/00672) **दर्ज दिनांक 14.12.2020**
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

बद्रीलाल आत्मज नंगजीराम जाट निवासी लोढ़ियाणा तहसील आमेट जिला राजसंमद
–प्रार्थी

बनाम

1. बालु आत्मज प्रताप जाट
2. उदेराम आत्मज चम्पा जाट
3. गंगा पत्नि छोगा जाट
4. देऊ पुत्री छोगा जाट
5. पारस आत्मज छोगा जाट
6. पारस आत्मज चम्पा जाट
7. बालु आत्मज छोगा जाट
8. भागु आत्मज चम्पा जाट
9. मुकेश आत्मज छोगा जाट
10. मांगी पुत्री चम्पा जाट
11. मादु आत्मज छोगा जाट
12. हगामी पत्नि चम्पा जाट
13. हीरा आत्मज चम्पा जाट
14. जमनी पत्नि हांसु जाट
15. नाथु आत्ज रामलाल जाट
16. शोभा आत्मज रामलाल जाट
17. हीरालाल आत्मज हांसु जाट

    सर्व निवासी जयसिंहपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

18. घीसुलाल आत्मज रामलाल जैन निवासी गिरड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
19. कैलाशचन्द्र आत्मज हेमा तेली
20. नंगजीराम आत्मज हेमा तेली
21. सोहनलाल आत्मज हेमा तेली

    सर्व निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला भीलवाड़ा।

22. छोगा आत्मज जीतु जाट
23. बदामी पत्नि मियाराम जाट

    सर्व निवासी पचातरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:38:53 IST
Reason: SelfAttested

1.

प्रकरण संख्या :—131/2020 (2020/00672)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अधिवक्ता प्रार्थीः— श्री मनीष दाद्यीच

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांकः—26.02.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 141 रकबा 0.50 हे0, 142 रकबा 0.55 हे0, 143 रकबा 1.86 हे0, 628/597 रकबा 0.13 हे0, 630/596 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 3.24 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 59 पर दर्ज होकर स्थित हैं।

इसी प्रकार ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 629/597 रकबा 0.27 हे0, 631/596 रकबा 0.40 कुल किता 02 कुल रकबा 0.67 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 60 पर दर्ज होकर स्थित हैं।

इसी प्रकार ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 140 रकबा 0.94 हे0, 144 रकबा 1.30 कुल किता 02 कुल रकबा 2.24 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 68 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1, 4, 5, 7 लगायत 13, 15 लगायत 23 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 2, 3, 6, 14 की मृत्यु हो जाने से प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा इनके विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 141 रकबा 0.50 हे0, 142 रकबा 0.55 हे0, 143 रकबा 1.86 हे0, 628/597 रकबा 0. 13 हे0, 630/596 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 3.24 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 59 पर दर्ज होकर स्थित हैं। इसी प्रकार ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 629/597 रकबा 0.27 हे0, 631/596 रकबा 0.40 कुल किता 02 कुल रकबा 0.67 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 60 पर दर्ज होकर स्थित हैं। इसी प्रकार ग्राम जय[illegible]सील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 140 [illegible] हे0, 144 रकबा 1.30 कुल किता 02 कुल रकबा 2.24 हे0 भूमि राजस्व [illegible] भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आ[illegible] **भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया [illegible] हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1450/— (एक हजार चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1450/— (एक हजार चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:38:53 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)